बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय,पटना-15

बिहार सरकार

पत्रांक— 7 स्था0 (5) वर्ग—04—14/2024........................ दिनांक— ..../2025

सकारण आदेश

श्री चंदन कुमार, कार्यालय परिचारी, पशु शल्य चिकित्सालय, सिवान की नियुक्ति मृत सरकारी सेवक स्व० जवाहर लाल प्रसाद के मृत्यु उपरान्त अनुकम्पा के आधार पर हुई है। अनुकम्पा नियुक्ति का उद्देश्य राज्य सरकार के कर्मियों की सेवाकाल मे मृत्यु होने पर उसके आश्रितों में से एक योग्य आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर सरकारी नौकरी प्रदान कर आश्रित परिवार को आर्थिक कठिनाईयों एवं तद्जनित विपत्तियों से संरक्षण प्रदान किया जाना हैं एवं अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति द्वारा मृतक के परिवार के सभी आश्रितों के भरण—पोषण की पूर्णतः उत्तरदायित्व होता है। श्री चंदन कुमार के द्वारा शपथ पत्र/घोषणा पत्र भी नियुक्ति किये जाने के क्रम में दिया गया है कि मेरे द्वारा मृतक के आश्रित का भरण—पोषण करूँगा। साथ ही कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 13293, दिनांक 05.10.1991 के द्वारा यह स्पष्ट प्रावधान है कि अगर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति द्वारा मृतक के आश्रित परिवार के भरण—पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि की जाती है तो नियुक्ति प्राधिकार द्वारा कारण पृच्छा प्राप्त कर उसकी सेवा समाप्त की जा सकेगी।

इस संदर्भ में सरकारी सेवक स्व० जवाहर लाल प्रसाद के आश्रित धर्मपत्नी श्रीमती बेबी जायसवाल द्वारा श्री चंदन कुमार के विरूद्ध भरण—पोषण नहीं करने से परेशान होकर सी०डब्लू०जे०सी० संख्या —10534/2024, बेबी जायसवाल बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में वाद दायर किया गया।

उक्त वाद को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01.08.2024 को निष्पादित करते हुए न्यायादेश पारित किया गया है, जिसका कार्यकारी अंश (Operative Part) निम्नवत् है :—

"2. At the outset, the learned counsel for the petitioner seeks liberty on behalf of the petitioner to approach the respondent no.2, i.e. the Principal Secretary, Animal and Fisheries Resources Department, Government of Bihar, Patna, for redressal of her aforesaid grievances. Liberty so sought is granted.

3. Accordingly, the present writ petition stands disposed off."

उक्त पारित न्याय निर्णय के आलोक में वादी श्रीमती बेबी जायसवाल द्वारा दिनांक 06.09.2024 को अभ्यावेदन समर्पित करते हुए प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना से न्यायिक हक दिलाने हेतु अनुरोध की है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में पशुपालन निदेशालय के पत्रांक 1503 (नि0), दिनांक 15.04.2025 के माध्यम से सी०डब्लू०जे०सी० संख्या 10534/2024 में पारित न्याय निर्णय के आलोक में मामले के निष्पादन हेतु प्रथम पक्ष श्रीमती बेबी जायसवाल, ग्राम–फतेहपुर, पोस्ट–सिवान, जिला–सिवान, पिन कोड– 841226, मोबाईल नम्बर–8521221781 एवं द्वितीय पक्ष श्री चंदन कुमार, कार्यालय परिचारी, पशु शल्य चिकित्सालय, सिवान को बुलवाकर अपना–अपना पक्ष रखने हेतु दोनों को कहा गया। दोनों पक्षों के बीच विमर्शोपरान्त सहमति बनी की श्री चंदन कुमार (पुत्र स्व० जवाहर लाल प्रसाद), कार्यालय परिचारी, पशु शल्य चिकित्सालय, सिवान द्वारा अपने वेतन से अपनी माता श्रीमती बेबी जायसवाल (पत्नी स्व० जवाहर लाल प्रसाद) को भरण–पोषण हेतु बैंक खाता के माध्यम से ₹10,000/– (दस हजार रूपये) मात्र प्रति माह 6 (छः) प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ आजीवन भुगतान करेंगे। उक्त लिखित सहमति पर दोनों पक्ष पूरे होशो–हवास में राजी होते हुए स्वेच्छा से हस्ताक्षर किया गया।

वर्णित परिप्रेक्ष्य के अनुरूप श्री चंदन कुमार, कार्यालय परिचारी, पशु शल्य चिकित्सालय, सिवान अपने वेतन से अपनी माता श्रीमती बेबी जायसवाल (पत्नी स्व० जवाहर लाल प्रसाद) को भरण–पोषण हेतु ₹10,000/–(दस हजार रूपये) मात्र प्रति माह 6 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ बैंक खाता के माध्यम से आजीवन भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे। पशु शल्य चिकित्सक, सिवान/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा उक्त निदेश का अनुपालन हेतु नियमित रूप से अनुश्रवण किया जायेगा।

प्रस्ताव में विभागीय अपर मुख्य सचिव महोदया का अनुमोदन प्राप्त है।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाये।

ह0/–

निदेशक, पशुपालन,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 7 स्था0 (5) वर्ग–04–14/2024...1971 (नि0)...**पटना– 15, दिनांक**– ...26/5.../**2025**

प्रतिलिपिः– श्रीमती बेबी जायसवाल (पत्नी स्व० जवाहर लाल प्रसाद), ग्राम+पो०–फतेहपुर, जिला–सिवान, पिन कोड–841226, मो० नं०– 8521221781 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– श्री चंदन कुमार (पुत्र स्व० जवाहर लाल प्रसाद), कार्यालय परिचारी, पशु शल्य चिकित्सालय, सिवान को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला कोषागार पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय,पटना-15

हमारा बिहार

बिहार सरकार

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी (विधि), पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, सारण क्षेत्र, छपरा/जिला पशुपालन पदाधिकारी, सिवान/पशु शल्य चिकित्सक, सिवान/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

23/5

निदेशक, पशुपालन,
बिहार, पटना।

दूरभाष संख्याः 0612-2215962 ई-मेल:dirahd-bih@nic.in वेबसाइटः state.bihar.gov.in/ahd